

22

26 25

14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:- जविप्रा/लेखा(आर.सी.आर)/2015/डी- 522

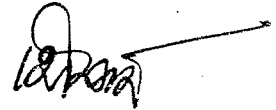
दिनांक 26-7-

कार्यालय आदेश

जोन-19 में चालान से नकद जमा राशि का बैंक स्टेटमेंट/आर सी आर से मिलान नहीं किये जाने के कारण कतिपय प्रकरणों में राशि जविप्रा के खाते में जमा नहीं होने पर भी पट्टे जारी हो गये हैं। संबंधित फाईल पर इस संबंध में वांछित कार्यवाही जारी है।

अतः सभी जोन उपायुक्तों को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पट्टा एवं अन्य स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व चालान में वर्णित राशि का मिलान संबंधित बैंक खाते के स्टेटमेंट/आर सी आर से करें। उल्लेखनीय है कि जविप्रा Intranet पर Finance Application Icon में आर सी आर रजिस्टर में एक क्लिक पर दिनांक, बैंक खाता वार (चालान बैंक स्टेटमेंट से सत्यापित) रिपोर्ट उपलब्ध है। अतएव पट्टा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही जविप्रा जोन स्तर पर तभी सम्पादित की जावे जब जमा राशि का सत्यापन बैंक स्टेटमेंट/आर सी आर से हो जावे।

उक्त निर्देशों की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा संबंधितों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।


(शिखर अग्रवाल)
आयुक्त, जविप्रा

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. समस्त निदेशक जविप्रा, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त आयुक्तजविप्रा, जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन.....जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
7. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास)/उपनिदेशक (व्यय एवं बजट) जविप्रा, जयपुर
8. व. लेखाधिकारी (आर सी आर)/लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर


(देवराज सिंह)
निदेशक (वित्त)